प्रेस नोट दिनाँकः- 02.07.2021 थाना ढेबरुआ

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2021 को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 137/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रामवेलास पुत्र कुंजी केवट साकिन खखरा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर |

बरामदगी का विवरण-10 लीटर कच्ची देशी शराब मय शराब बनाने वाले उपकरण ड्रम, भदेला, नलकी व थाली अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुंवर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे0का0 सुरेश वरुण थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
03. का0 रामसेवक यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
04. का0 अर्जुन यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनाँकः- 02.07.2021

दिनाँक 02 जुलाई 2021 को पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार रॉय द्वारा पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत व शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु बस्ती से थाना त्रिलोकपुर जनपद सिध्दार्थनगर तक जाने वाले सड़क मार्ग पर भ्रमण करते हुये सुरक्षा व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान महोदय द्वारा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिध्दार्थनगर का औचक निरीक्षण किया गया तथा थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर नियुक्त महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये कार्यालय के अभिलेखों के रख-रखाव, सीसीटीएनएस कम्प्यूटर कक्ष व थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति चेक की गयी व आगन्तुक रजिस्टर, कोविड-19 हेल्प डेस्क, माल के रख-रखाव के संबंध में मालखाना रजिस्टर का निरीक्षण किया गया , साथ ही साथ हवालात का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु संबंधित थाना प्रभारी को बैंक ड्यूटी, रात्रि चेकिंग /पिकैट ड्यूटी/बैरियर ड्यूटी/रात्रि कर्फ्यू आदि के संबंध में विशेष सक्रियता रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

सराहनीय कार्य दिनांक 02-07-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांकः- 02-07-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 770 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 249 वाहनों का चालान कर ₹ 2,69,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट, दिनाँक 02.09.2021

थाना जोगिया उदयपुर पुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तार

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुसरण और श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के मार्गदर्शन व तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.09.2021 को उपनिरीक्षक श्री अजीत कुमार यादव व हमराह हे.का. गोवर्द्धन गुप्ता और हे.का. जनार्दन यादव द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर वारंटी अभियुक्त (1) रामधीर उर्फ सुरेंद्र पुत्र राम लखन निवासी ग्राम नादेपार थाना जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर और (2) राम लखन पुत्र नीवर निवासी ग्राम नादेपार थाना जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर को तड़के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323,504,506,452,354(ख) आईपीसी के अंतर्गत बिना जमानतीय वारंट जारी किया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अभियुक्त काफी दिन से गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आज मुखबिर की सूचना के आधार पर घर से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कार्रवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।